

**कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,**
**जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ,**
**अजमेर।**

क्रमांक : एमसीए/शैक्षणिक-1/2022/...1.1.1.88

दिनांक: 26/07/2022

**नोटिस**

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ7(2)/डीएमई/एके/2019 पार्ट/3586, दिनांक-07.08.2020 के अनुसरण में निम्नलिखित विशिष्टताओं में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजीडेंट पद पर पूर्णतया अस्थायी/आवश्यक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं	विशिष्टता	सीनियर रेजीडेंट पदों की संख्या
1	पैथोलोजी	01
2	एनेस्थेसिया	01
3	शिशु रोग विभाग	02
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	08
5	जिरियट्रिक मेडिसिन	01
6	रेडियो डायग्नोसिस	02
7	चर्म एवं रति रोग	01

विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

उक्त पदों की योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	संबंधित विशिष्टता में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. अथवा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/इंडियन मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता (मय राजस्थान मेडिकल काउन्सिल अथवा इंडियन मेडिकल काउन्सिल में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र)
2	आयु सीमा	45 वर्ष
3	कार्य की अवधि	एक वर्ष
4	मानदेय/स्टाईपेण्ड	चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
5	साक्षात्कार (Walk in interview) की तिथि, समय एवं स्थान	उक्त पदों पर चयन हेतु आगामी गुरुवार और गुरुवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर 12.00 बजे पश्चात। साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण -

- 1 आवेदन पत्र के साथ अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की प्रमाणित फोटो।
- 2 सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- 3 शैक्षणिक योग्यता की समस्त अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां मय अटेम्प प्रमाण पत्र एवं इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।

- 4 संस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (आर.एम.सी./एम.सी.आई)।
- 5 यदि अभ्यार्थी आरक्षित वर्ग का है, तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 6 अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो।
- 7 महिला अभ्यार्थी के नाम अथवा उपनाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र।
- 8 यदि अभ्यार्थी पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत है, तो अभ्यार्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.17 (1)चि.स्वा/2/2022 दिनांक 05.07.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रत्येक कार्य दिवस को (पदों के भरे जाने तक) प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। गुरुवार को मध्याह्न 12.00 बजे बाद साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार की तिथि अथवा समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसा कोई अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यार्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

चयनित अभ्यार्थी द्वारा बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी। चयनित अभ्यार्थी एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे। निर्धारित अवधि का नोटिस नहीं देने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय राजकोष में जमा करवाना होगा।

उक्त पदों पर चयनित चिकित्सकों को प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना होगा।



प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

क्रमांक 28924-37

शैक्षणिक-1/एमसीए/2022

दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 प्रधानाचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा को
- 4 प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर/ बीकानेर/कोटा।
- 5 अति० प्रधानाचार्य, I/II/III/IV इस महाविद्यालय को।
- 6 अधीक्षक, ज.ला.ने चिकित्सालय, अजमेर।
- 7 प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा इस महाविद्यालय को।
- 8 नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, इस महाविद्यालय को ~~प्रमाणित प्रति हेतु~~ ~~तक~~ ~~विज्ञापित~~ ~~को~~ कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करावें तथा आगामी मंगलवार और मंगलवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को मध्याह्न पश्चात् इस नोटिस को कॉलेज वेबसाइट हटवाने की व्यवस्था करावें।
- 9 निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, इस महाविद्यालय को।
- 10 महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।



प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक